रजि0न0 2025/236

फर्द अहकाम
(नियम 26)

नाम अदालत **अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर** मुकाम अलवर

उनवान सरकार बनाम रामखिलाडी

किस्म मुकदमा **निगरानी 15/08/2025** दायर दिनांकः—10.11.2025

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03 दिसम्बर 2025	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी की प्रार्थना पत्र सुपुदर्गी पर विस्तृत बहस सुनी गई। प्रकरण में जब्तशुदा वाहन महिन्द्रा बोलेरो पिकअप रजि0 संख्या RJ-32-GB-3012 को सुपुर्दगी पर दिये जाने बाबत थानाधिकारी थाना रैणी से अभिशंषा/टिप्पणी ली गयी। थानाधिकारी द्वारा पत्रांक 2621 दिनांक 16.11.2025 के द्वारा रिपोर्ट पेश कर अवगत कराया कि प्रकरण हाजा में जप्तशुदा वाहन महिन्द्रा बोलेरो पिकअप रजि0 संख्या RJ-32-GB-3012 को नियमानुसार सुपुर्दगी पर दिया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है। पुलिस थाना की अभिशंषा के आधार पर जप्तशुदा वाहन को सुपुर्दनामे पर दिये जाने हेतु प्रा0 पत्र स्वीकार किया जाता है। यदि प्रार्थी 5,00,000/— (शब्देन पांच लाख रूपये मात्र) का सुपुर्दनामा एवं इसी कदर तस्दीकशुदा जमानतनामा पेश करे तथा जब्तशुदा वाहन यदि किसी अन्य प्रकरण में वांछित ना हो तो प्रार्थी को उक्त वाहन सुपुर्दनामे पर दिये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थी सुपुर्दनामे पर दिये गये वाहन को खुर्द—बुर्द नहीं करेगा, जब भी उक्त वाहन की न्यायालय हाजा अथवा अन्य न्यायालय को आवश्यकता होगी तो वाहन को प्रस्तुत करना होगा। इसी अनुसार वकील प्रार्थी द्वारा तस्दीकशुदा सुपुर्दनामा/ जमानतनामा पेश किया। शामिल पत्रावली किया गया। पुलिस थाना थानाधिकारी रैणी जिला अलवर को जब्तशुदा वाहन महिन्द्रा बोलेरो पिकअप रजि0 संख्या RJ-32-GB-3012 को सुपुर्दगी पर दिये जाने हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो। अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)	

राजस्थान सरकार
न्या० अति० जि० कले० एवं अति० जि० मजि० प्रशासन (द्वितीय) अलवर